

न्यायालय, श्री हेमन्त कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
मुजफ्फरपुर(पश्चिमी)

C-570 / 2019

u/s-341, 323, 504, 379 IPC

राजु राय.....सूचका ।

बनाम्

अरुण कुमार.....परिवादी ।

10.01.2020

आवेदन अरुण कुमार, रणवीर कुमार उर्फ मुन्ना, नंद किशोर राय, चौधरी चरण सिंह, सुभाष कुमार उर्फ पप्पु, दिलिप राय, ब्रज किशोर राय उर्फ लोहा सिंह, सुधांशु कुमार, सुधिर कुमार उर्फ चुन्नु के तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इन्होंने ने कोई अपराध नहीं किया है एवं इस कांड मे धारा 379 भा0द0वि को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय है।

अभिलख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद की सभी धाराएं जमानतीय है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक को मो0-4000 x 1 के एक प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि आवेदक आरोप गठित होने तक प्रत्येक तारीख को सदैव उपस्थित रहेंगे। लगातार दो तिथियों पर बिना कारण के अनुस्थित रहने पर उनका बंध पत्र खंडित कर दिया जाएगा।

न्यायिक दंडाधिकारी,

प्रथम श्रेणी

10.01.2020

उपरोक्त आदेशनुसार अभियुक्त की ओर से बंधपत्र दाखिल किया गया जिस जांचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

न्यायिक दंडाधिकारी

प्रथम श्रेणी